



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04102025-266676
CG-MH-E-04102025-266676

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4394]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947

No. 4394]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 3 अक्टूबर, 2025

का.आ. 4520(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20च (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से गुजरात राज्य में नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में नामित अधिकारियों को सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संदर्भ में उक्त अधिनियम के तहत प्राधिकरणों के कार्य करने हेतु मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करती है।

क्रम सं.	मध्यस्थ अधिकारी	कब्जा एवं तहसील	विशेष रेल परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	विकास आयुक्त, गुजरात राज्य	महेसाणा	विजापुर अम्बालियासन गेज परिवर्तन परियोजना

[फा. सं. E -679994]

डी.आर.चौधरी, मुख्य परियोजना प्रबंधक-निर्माण/1

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd October, 2025

S.O. 4520(E).—In exercise of the powers conferred by clause 20 F (6) of the Railways (Amendment) Act, 2008, the Central Government hereby authorised the officers nominated in column (2) of the Table below to act as an Arbitrator to perform the functions of such authorities under the said Act in respect of Special Railway Project as mentioned in column (4) of the table below in the state of Gujarat with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

Sr. No.	Arbitrator Officer	District	Name of the Special Railway project
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Development Commissioner , Gujrat State	Mahesana	Vijapur – Ambaliyasan GC Project

[F. No. E -679994]

D.R. CHAUDHARY, Chief project Manager/Construction-I